



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22834

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3670/2026

लल्लन सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: धीरज सिंह, मीना सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् _____ के समक्ष दिनांक 26.12.2026 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2026 की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उक्त आवेदन के अवलोकन से, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि उक्त आवेदन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2026 की धारा 24 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दायर नहीं किया गया था। इस मामले को देखते हुए, याची को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 कानून के अनुसार शीघ्रता से उसका निस्तारण करेंगे। उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

1. याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. याची ने प्रत्यर्थी संख्या-3/उप जिलाधिकारी, तहसील- बारा, जनपद- प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 का अनुपालन करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत प्रत्यर्थी संख्या-3 के समक्ष कार्यवाही की गई थी, जिसे वाद संख्या शून्य/2025 (लल्लन सिंह बनाम ग्राम पंचायत) के रूप में अंकित किया गया था, जिसमें याची के पक्ष में दिनांक 18.09.2025 को आदेश पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
4. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा याचिकाओं के एक समूह, जिसमें मुख्य रिट सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) है, में विधि सुस्थापित की गई है, जिसका निर्णय 18.12.2025 को हुआ था, जिसमें पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे जो इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप जिलाधिकारी (एसडीओ) को सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटारे के लिए वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सीमांकन और कब्जे की बहाली हेतु अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार प्रदान करती है। निष्पादन विवेकाधीन नहीं है बल्कि प्रावधान की प्रभावकारिता का अभिन्न अंग है? प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त तंत्र को निरर्थक बना देती है और विधायी मंशा को विफल करती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 के नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (शासनादेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों और निष्पक्षता एवं सार्वजनिक व्यवस्था की संवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से एसडीओ और कलेक्टर, कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि धारा 24 के तहत आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व अधिकारियों को उपर्युक्त दिशानिर्देशों का राष्ट्रव्यापी प्रसार सुनिश्चित करेंगे। अनिवार्य प्रशिक्षण और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल अनुपालन प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है। 46. प्रत्यर्थी, विशेष रूप से संबंधित एसडीओ को निर्देशित किया जाता है कि वे रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच के सभी संबंधित आदेशों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, स्वीकृत साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार कड़ाई से निष्पादित करें, जिसमें सीमा चिन्ह लगाना और जहाँ भी आवश्यक हो, कब्जे की बहाली सुनिश्चित करना शामिल है।"

5. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को संबंधित उप जिलाधिकारी को आदेश दिनांक 18.09.2025 का कानून के अनुसार कड़ाई से अनुपालन करने के साथ-साथ मीना देवी (उपर्युक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार अनुपालन करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

विनोद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"